

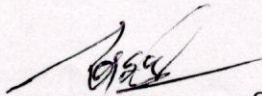
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	श्री भगवत डसीला, जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	श्री मनोज कुमार, जिला पंचायत सदस्य	सदस्य/सचिव
5-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव

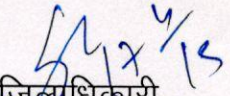
आज दिनांक 9-5-11 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट के प्रमाण पत्र दिनांक 7-3-11 द्वारा फरसाली से खर्कुकानातोली मोटर मार्ग के लिए 8.931 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा फरसाली से खर्कुकानातोली मोटर मार्ग हेतु वनभूमि परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर फरसाली से खर्कुकानातोली मोटर मार्ग हेतु 8.931 है० भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तथा फरसाली से खर्कुकानातोली मोटर मार्ग हेतु 8.931 है० भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


 जिला समाज कल्याण अधिकारी,
 बागेश्वर
 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 बागेश्वर


 प्रभागीय वनाधिकारी,
 बागेश्वर


 जिलाधिकारी,
 बागेश्वर

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No 04

Dated - 9/4/15

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **8.931** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **RES PMGSY, PIU-II, Kapot Bageshwar, UTTARAKHAND** for Construction of **FARSALI TO KHARKUKANA TOLI Motor Road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Sirasu** village (s) in **Kapkot** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **8.931** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ~~23 to~~ **annexure..23.2**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

No 04

Dated 9/4/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **8.931** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **ID RES PMGSY, PIU-II, Kapot Bageshwar, UTTARAKHAND** for Construction of **FARSALI TO KHARKUKANA TOLI Motor Road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Sirasu** village (s) in **Kapkot** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire road **8.931** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 2.3 to ...annexure 2.3-2
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **2** villages(s) is enclosed as annexure 2.3 to annexure 2.3-2
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली से खर्कुकाना तोली (10.425 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट

उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत फरसाली से खर्कुकाना तोली (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 7.747 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.184 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 8.931 हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 7-3-11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के० एस० टोलिया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री के० एस० टोलिया उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री एस० एन० त्रिपाठी उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री कालू राम वर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य
- 4- श्रीमती जानकी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र गुंलेर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि फरसाली से खर्कुकाना तोली परियोजना हेतु 8.931 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशांसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री एस० एन० त्रिपाठी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत फरसाली से खर्कुकाना तोली परियोजना के निर्माण हेतु 8.931 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - कपकोट
जनपद - बागेश्वर

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

तहसीलदार
तहसील कपकोट

20/03/2011

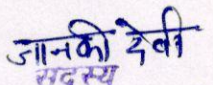
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - कपकोट
जनपद - बागेश्वर

वन श्रेणीयता फिली की अनुसूचित

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली से खर्कुकानातोली 8.931 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रभावित होने वाली भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 2-1-15 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद बागेश्वर

1-	श्री के० एस० टोलिया	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 Sub Divisional Magistrate Kaptol (Bageshwar)
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी
3-	श्री कालू राम वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड कपकोट जनपद-बागेश्वर
4-	श्रीमती जानकी देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र-गुलेर	सदस्य	 जानकी देवी सदस्य क्षेत्र पंचायत खर्कुकानातोली जिला कपकोट ज० बागेश्वर


बी०डी०सी० कालू


AWE

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली से खर्कुकाना तोली मोटर मार्ग, (लम्बाई 11.607 कि०मी०) में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्रामीण विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- खर्कुकाना तोली तहसील :- कपकोट जिला :- बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत फरसाली से खर्कुकाना तोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है० आरक्षित वन भूमि, 7.747 है० सिविल सोयम भूमि, 1484 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 8.931 है० वन भूमि का प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खर्कुकाना तोली द्वारा दिनांक11/011/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खर्कुकाना तोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 8.931 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

सचिव रूप निरीक्षक
31/05/2014
क्षेत्र-कपकोट तहसील-बागेश्वर
जिला-बागेश्वर

ह०/-
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत खर्कुकाना तोली
18/05/2014
प्रधान
ग्राम पंचायत खर्कुकाना तोली

दिनांक11.../011/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खर्कुकाना तोली

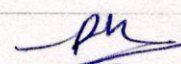
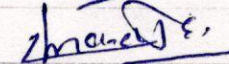
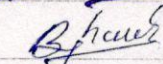
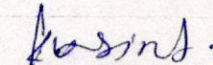
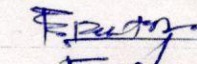
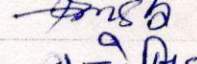
क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
24-	कुमारी विमला कौरंगा	विमला
25-	उमेश कौरंगा	उमेश
26-	लक्ष्मी मादेवी	लक्ष्मी मादेवी
27-	दीवान सिंह	दीवान सिंह
28-	मोरेन्द्र सिंह दोसात	मोरेन्द्र सिंह
29-	जानकी देवी	जानकी देवी
30-	भावना देवी	भावना देवी
31-	माकली देवी	माकली देवी
32-	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
33-	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
34-	काविता देवी	काविता देवी
35-	रश्मि	रश्मि
36-	कुं यमुना	कुं यमुना
37-	मोहन	मोहन देवी
38-	पुशाण सिंह	पुशाण सिंह
39-	चांदनी	चांदनी
40-	विश्वन सिंह	विश्वन सिंह
41-	हेमा देवी	हेमा देवी
42-	कविता कौरंगा	होशियार सिंह
43-	साब मोरंगा	साब मोरंगा
44-	धनोद	धनोद
45-	नरेंद्र सिंह	नरेंद्र सिंह

कैलाश
राजेश्वर उर्फ विश्वनाथ
क्षेत्र... ज.ह. पाकोटा तहसील.....
जिला - बागेश्वर

ह० / - हिस्सा देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत खर्ककानातोली
वि० ख० - कपकोट (बागेश्वर)

दिनांक ...11.../011/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खर्कुकाना तोली

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेंद्र सिंह	
2	Balwant Singh	
3	विश्वनाथ सिंह	
4	बनारस देवी	बनारस देवी
5	जमना देवी (हं)	नाम-जमना देवी
6	सुनीता देवी (हं)	नाम-सुनीता देवी
7	मोहनी देवी (हं)	नाम-मोहनी देवी
8	काला देवी (हं)	नाम-काला देवी
9	Pushpa (हं) पुष्पा रावत (नाम)	
10	रमेश राम (नाम)	
11	Kumarsingh	
12	भूपाल सिंह	भूपाल सिंह
13	विश्वनाथ सिंह	विश्वनाथ सिंह
14	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
15	जयपाल सिंह	
16	गंगा सिंह	गंगा सिंह
17	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
18	Rajpal Singh	Rajpal Singh
19	रजक रथौर	
20	नारायण सिंह	
21	बचें सिंह	बचें सिंह
22	देवा देवी	
23	विश्वनाथ सिंह	विश्वनाथ सिंह

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...
जिला-बागेश्वर


03/12

50/- लिमा देवी
ग्राम पंचायत खर्कुकाना तोली
वि०ख०-कपकोट (बागेश्वर)

[illegible]

ह0/- हिदमा देवी
ग्राम पंचायत खमकानातोली
ग्राम विधानसभा क्षेत्र (बागेश्वर)

राजस्व उप निरीक्षक

सेवा...T.H.P.O. ...तहसील.....

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली से खर्कुकाणा तोली मोटर मार्ग , (लम्बाई 11.607 कि०मी०) में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्रामीण विकास विभाग को हस्तान्तरण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- गूलेर(गुरुछुटी)

तहसील :- कपकोट

जिला :- बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **बागेश्वर** के अन्तर्गत **फरसाली से खर्कुकाणा तोली मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है० आरक्षित वन भूमि, 7.747 है० सिविल सोयम भूमि, 1.104 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 8.931 है० वन भूमि का प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गूलेर(गुरुछुटी) द्वारा दिनांक11/11/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के-निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गूलेर(गुरुछुटी) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 8.931 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

गुलेर

ह०/-

ग्राम प्रधान



वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत गूलेर(गुरुछुटी)
वि०ख०कपकोट ज०-बागेश्वर

दिनांक 11/01/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - गुलेर गुलचट्टी

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गंगोत्री देवी	गंगोत्री देवी
2.	मा जी देवी	मा जी देवी
3.	कामरसिंह	कामरसिंह
4.	काशिका देवी	काशिका देवी
5.	गुल	गुल
6.	गुला शिव	गुला देवी
7.	दमयन्ता देवी	दमयन्ता देवी
8.	रुशा ल रसु	रुशा ल रसु
9.	द लखी लख	द लखी लख
10.	नेवा देवी	नेवा देवी
11.	पुनम देवी	पुनम देवी
12.	लख देवी	लख देवी
13.	माना देवी	माना देवी
14.	गोमती देवी	गोमती देवी
15.	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
16.	पुनम देवी	पुनम देवी
17.	पुनम देवी	पुनम देवी
18.	आनन्दा देवी	आनन्दा देवी
19.	देवी	देवी
20.	देवी	देवी
21.	अरुण देवी	अरुण देवी
22.	चंचल देवी	चंचल देवी
23.	पुनम देवी	पुनम देवी

ह0/-

ग्राम प्रधान

प्रधान

ग्राम पंचायत गुलेर (गुलचट्टी)
पि०स०क०प०क०ट ज०-बागेश्वर

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र 142/142/142 तहसील

AAE

दिनांक/011/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - गुलेर गुलचट्टी

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
24.	गुमानसिंह गोबिनी	गुमानसिंह
25.	रुक्मिणी देवी	रुक्मिणी देवी
26.	रामचन्द्र देवी	रामचन्द्र देवी
27.	धारा सिंह	धारा सिंह
28.	मन्ना सिंह	मन्ना सिंह
29.	पूजा सिंह	पूजा
30.	Uttam Singh	Uttam Singh
31.	Dam Singh	Dam Singh
32.	इरीषा देवी	इरीषा देवी
33.	समना देवी	समना देवी
34.	धरम सिंह	धरम सिंह
35.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
36.	अपराजिता	अपराजिता
37.	इरीश राम	इरीश राम
38.	जदाल राम	जदाल राम
39.	मधुसूदन सिंह	मधुसूदन सिंह
40.	प्रयाग पुरा	प्रयाग पुरा
41.	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
42.	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
43.	जयन सिंह	जयन सिंह
44.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
45.	पुस सिंह	पुस सिंह
46.	जगत सिंह	जगत सिंह

ह0 / -

ग्राम प्रधान

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-.....
जिला-बागेश्वर

ग्राम पंचायत गुलेर (गुलचट्टी)
पिन-000000 ज0-बागेश्वर